अति तत्काल

संख्या आर-11016/2/2015-पी0एण्ड सी0

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए नवंबर, 2019 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

*****

उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **नवंबर 2019** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में सूचनार्थ संलग्न है।

30/12/2019

(सुनील कुमार मिश्रा)

अवर सचिव (पी0 एण्ड सी0)

दूरभाष नं0 2338 1233

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.ओ./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (संलग्न सूची के अनुसार)
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एन.आई.सी.), को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

उपभोक्ता मामले विभाग के नवंबर, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नलिखित हैं।

1. दालों तथा प्याज का बफर स्टॉक :-

1.1 उत्पादक राज्यों नामतः महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह में असामयिक वर्षा के कारण फसल को हुई व्यापक क्षति के परिणामस्वरूप नवंबर की शुरूआत में प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1.2 लाख मीट्रिक टन प्याज के आयात/खरीद करने और राज्यों को सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार किया गया। सी.सी.ई.ए. ने 1.2 लाख मीट्रिक टन प्याज के आयात पर सैद्धांतिक सहमति दे दी और इस मामले में समुचित निर्णय लेने हेतु माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, माननीय कृषि मंत्री, माननीय वाणिज्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री और माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को शामिल करते हुए माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्रियों के समूह को प्राधिकृत किया। माननीय मंत्रियों की समिति की बैठक दिनांक 22 नवंबर, 2019 (और पुनः 5 तथा 12 दिसम्बर, 2019) को आयोजित की गई और प्याज के आयात, स्पेसिफिकेशन में छूट, नेफेड द्वारा घरेलू अधिप्राप्त आदि के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सीजनेलटी और ऐसे अन्य कारकों, जो प्याज, दालों और तिलहनों के क्षेत्र/उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं, के आधार पर एक कलैंडर तैयार किया जाए।

1.2 मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति की विभिन्न बैठकें आयोजित की गई और एम.एम.टी.सी. के माध्यम से लगभग 30,000 मीट्रिक टन प्याज के आयात का अनुमोदन दिया गया। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के मामले में पूर्व की स्टॉक सीमा जो कि 50 मीट्रिक टन और 10 मीट्रिक टन थी को संशोधित करके क्रमश: 25 मीट्रिक टन और 2 मीट्रिक टन कर दिया गया। 14 राज्यों ने कुल 15,000 मीट्रिक टन प्याज की अपनी मांग प्रस्तुत की। दालों के बफर स्टॉक को 16 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 19-20 लाख मीट्रिक टन (10 लाख मीट्रिक टन तूर, 4 लाख मीट्रिक टन उड़द, 1.5 लाख मीट्रिक टन मसूर, 1 लाख मीट्रिक टन मूंग और 3 लाख मीट्रिक टन चना) करने का निर्णय लिया गया। माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के स्तर पर राज्य सरकारों से जमाखोरी-रोधी ऑपरेशन चलाने और उनकी एजेंसियों के माध्यम से प्याज की खरीद और खुदरा बिक्री पर विचार करने को कहा गया। सरकार द्वारा प्राइवेट आयातों को बढ़ावा दिया।

2. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ):

2.1 माननीय न्यायालय ने अपने दिनांक 12.09.2019 के आदेश के तहत एक अंतरिम बोर्ड गठित किया है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और भारत सरकार के 2 सेवानिवृत्त सचिव शामिल हैं। एन.सी.सी.एफ. की पुनरीक्षा करने के लिए इस अंतरिम बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गई।

2.2 श्री अनिल बहुगुणा, पूर्व संयुक्त सचिव, जिन्होंने प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ का अतिरिक्त पदभार संभाला हुआ था, की सेवानिवृत्ति के पश्चात् माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से श्री अमित मेहता, संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से एनसीसीएफ के लिए एक नियमित प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2.3 श्री कमल चौधरी, पूर्व प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ को कर्त्तव्य की घोर उपेक्षा के कारण मई, 2018 में निलंबित किया गया था। श्री चौधरी के निलंबन को वापिस लेने और उनके मूल विभाग में वापिसी के अनुरोध और माननीय केंद्रीय अपीलीय अधिकरण के आदेश के अनुसार, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के अनुमोदन के पश्चात् उनका निलंबन वापिस लिया गया। उन्हें उनके मूल विभाग में वापिसी के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए ए.सी.सी. को भेज दिया गया है।

3. भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) :-

3.1 राज्य सरकारों से पाईप्ड पेयजल के लिए बी.आई.एस. मानक को अनिवार्य बनाने पर विचार करने के लिए कहा गया है। यह वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाईप्ड पेयजल की पूर्ति के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुसरण में है।

3.2 बी.आई.एस. (वैज्ञानिक संवर्ग पर भर्ती) विनियम, 2019 को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और अधिसूचना हेतु बी.आई.एस. को भेज दिया गया है। बी.आई.एस. से नए विनियम के आधार पर वैज्ञानिक संवर्ग के 100 पदों को भरने हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

नियमों और विनियमों को तैयार कर लिया गया है और टिप्पणियों हेतु विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है। इन्हें अगले 2 माह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.):

वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत अधिसूचित नियमों के विरूद्ध दायर रिट याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 नवंबर, 2019 के निर्णय के आधार पर, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के पूर्व रिक्ति परिपत्र के क्रम में सदस्य के 6 रिक्त पदों को भरने के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 24 दिसम्बर, 2019 है।

6. मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	सूचकांक	मुद्रास्फीति दर (%)		
		नवंबर, 2019 (अनन्तिम)	अक्टूबर, 2019 (अनन्तिम)	नवंबर, 2018 (अंतिम)
1	थोक मूल्य सूचकांक **(वार्षिक)**	0.58	0.16	4.47
2	थोक मूल्य सूचकांक **(खाद्य वस्तुएं)**	11.08	9.80	-3.24
3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(औद्योगिक कामगार)**	7.62	6.98	5.23
4	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(संयुक्त)***	5.54	4.62	2.33
5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक **(उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक)***	10.01	7.89	-2.61

*:- श्रृंखला 2012=100 #: नया आधार वर्ष 2011-12=100

7. राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा यथासंसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य जुलाई, माह की तुलना में अक्टूबर, 2019 माह की तुलना में नवंबर, 2019 माह के मूल्य रूझान **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय को अन्य बिंदुओं के संबंध में सूचित की जाने वाली अद्यतन जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

अनुलग्नक -I

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य – पिछले माह की तुलना में रूझान

राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा संसूचित, पूरे देश के 114 केंद्रों से प्राप्त 22 आवश्यक वस्तुओं के अखिल भारतीय मासिक खुदरा मूल्य अगस्त, 2019 की तुलना में सितम्बर, 2019 माह के अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्यों को संकलित किया गया है और नीचे दिया गया है -:

आवश्यक वस्तुओं की अखिल भारतीय मासिक औसत खुदरा कीमतें

(रुपये/कि.ग्रा.)

क्रम संख्या	वस्तु	अक्टूबर, 2019 (अद्यतन)	सितम्बर, 2019 (अद्यतन)	अंतर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	चावल	34	33	1
2	गेहूं	28	28	0
3	आटा	30	29	1
4	चना दाल	67	66	1
5	तूर दाल	88	87	1
6	उड़द दाल	91	78	13
7	मूंग दाल	88	85	3
8	मसूर दाल	65	63	2
9	चीनी	40	39	1
10	दूध	45	45	0
11	मूंगफली का तेल	135	134	1
12	सरसों का तेल	113	111	2
13	वनस्पति	81	80	1
14	सोया तेल	93	93	0
15	सूरजमुखी का तेल	102	101	1
16	पॉम ऑयल	78	76	2
17	गुड़	47	46	1
18	खुली चाय	217	215	2
19	पैकबंद नमक	16	15	1
20	आलू	23	21	2
21	प्याज़	61	47	14
22	टमाटर	38	39	-1

स्रोत: राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

अनुलग्नक-II

उपभोक्ता मामले विभाग

1. दीर्घकालीन अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के कारण लंबित हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले:

शून्य

2. सचिवों की समिति के निर्णयों का अनुपालन :**ई-समीक्षा पोर्टल पर अद्यतन कर दिया गया है।**

3. तीन माह से अधिक समय से लम्बित 'अभियोजन के लिए स्वीकृत' मामलों की संख्या:

शून्य

4. ऐसे मामलों का विवरण जिनमें सरकार के कार्य व्यापार नियमों अथवा स्थापना नीति से विपथन हुआ है:

शून्य

5. ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन की स्थिति

फाइलों की कुल संख्या	ई-फाइलों की कुल संख्या
246	**213**

6. लोक शिकायतों की स्थिति :

नवंबर, 2019 माह में निपटाई गई लोक शिकायतों की संख्या	**नवंबर, 2019** माह के अन्त में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या
969	**837**

7. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत शिकायतों की स्थिति

नवंबर, 2019 माह के दौरान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पंजीकृत डॉकेटों की कुल संख्या	**नवंबर, 2019** माह के अंत तक निपटाए गए कुल डॉकेटों की संख्या
71,066	**43,243**

8. न्यूनतम शासन, अधिकतम अभिशासन:

उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष पूरे देश के 22 केन्द्रों से 114 आवश्यक वस्तुओं की खुदरा एवं थोक कीमतों की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग करता है। ये कीमतें राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा दैनिक आधार पर मुख्यत: ऑनलाइन तरीके से रिपोर्ट की जाती हैं। इन कीमतों को विभाग की वेबसाइट द्वारा तत्काल प्रसारित किया जाता है। कीमतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कारण कीमतों की रिपोर्टिंग और उनके प्रसारण में कम समय लगता है। अनुदेशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार नेमी प्रकार के अन्य सरकारी कार्य भी ऑनलाइन किए जा रहे हैं ताकि विलंब से बचा जा सके तथा अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

*****